

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर,

छत्तीसगढ़ ।

विषय:- Diversion for Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act.1980 Proposed for construction of 765 KV D/c Dharamjaigarh-Raigarh (Tamnar) Pool Transmission line under three forest Division of Chhattisgarh State of "Additional System for Power Evacuation from Generation Project Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool" area 137.014 ha.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-173/2871, दिनांक 22.11.2019 ।

---00---

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/- संदर्भित पत्र के चेक लिस्ट क्रमांक 42 में निम्नानुसार लेख किया गया है :-

“वनमंडलाधिकारी कोरबा ने लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में एलीफेन्ट रिजर्व घोषित करने हेतु वर्तमान में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसके अलावा प्रपत्र-3 में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने लेख किया है कि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के 10 कि.मी. की परिधि में वन्यप्राणी संरक्षण एवं विलुप्त प्रजाति हेतु Habitat Development, पेय जल व्यवस्था सहित विस्तृत वन्यप्राणी योजना एवं वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय पर प्रस्तावित करते हुए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है ।”

3/- आदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दु में उल्लेखित वन्यप्राणी से संबंधित तथ्यों के आलोक में विषयांकित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देशों के साथ तथ्यात्मक टीप प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(आर.क.चंचलानी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/एफ 5-21/2019/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/11/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर।
 3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
 4. वनमंडलाधिकारी, कोरबा/रायगढ़/धरमजयगढ़, वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 5. आवेदनकर्ता मेसर्स गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, कोरबा, छत्तीसगढ़।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग